पंजीयन क्रमांक / S.No. COOP/2017/JAIPUR/100114 (70)

नचिकेता गुरुकुल

गुरुकुल:- प्लॉट नं.-5, राजावत फार्म के सामने, एस.एफ.एस.,
न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर-302020, मो.: 9414696668
पंजीकृत कार्यालय: सिद्धि विनायक, डी-54, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

CEM/1377
20/12/2022

EH
21/12/22

क्र.सं. 95/2022 दिनांक 20/12/2022

सम्माननीय मुख्य संपदा प्रबंधक जी
राजस्थान आवासन मंडल ,जयपुर

AAO

विषयः– आपका पत्र क्रमांकः मुसप्र / 2022 / 673 दिनांक 4 नवंबर 2022 के संदर्भ में।

21/12

महोदय,

आपके द्वारा चाही गई सूचनाएं निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

1. भूमि आवंटन नीति– 2015 के बिंदु संख्या 2.9 की सारणी– 1 के अनुसार प्रपत्र–अ को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें उच्च माध्यमिक तक के विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव उल्लेखित है।
2. प्रस्तुत दस्तावेजों में अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता (देवेन्द्र कुमार– सचिव) के द्वारा मोहर द्वारा सत्यापित किए गए हैं। पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों पर मोहर लगाने के लिए हम मोहर सहित आपके कार्यालय में उपस्थित होकर मोहर लगाने की प्रार्थना करते हैं।
3. भूमि आवंटन नीति– 2015 के बिंदु संख्या 2.6 के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न की जा रही है।
4. प्रार्थी, नचिकेता गुरुकुल पूर्व में यूथ फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था आपके द्वारा चाही गई यूथ फाउंडेशन की संघ विधानपत्र की सत्यापित प्रति भी प्रस्तुत है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर दी गई है कृपया भूमि का आवंटन अति शीघ्र करवाने की कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय

देवेन्द्र कुमार
(सचिव– नचिकेता गुरुकुल)

सचिव
नचिकेता गुरुकुल

E-mail : nachiketagurukul@gmail.com | E-mail: youthfoundationjpr@gmail.com | M. : 9413625966

(3)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र

पं. संख्या **COOP/2017/JAIPUR/100114** दिनांक – 12-04-2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि **YOUTH FOUNDATION** जिला **JAIPUR** का रजिस्ट्रेशन **' राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) '** के अन्तर्गत दिनांक **27/12/2017** को किया गया था।

अब इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर **NACHIKETA GURUKUL** जिला **JAIPUR** कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 की धारा -12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से दिनांक **12-04-2021** को जयपुर में जारी किया गया।

सचिव
नचिकेता गुरुकुल

Signature valid

Digitally signed by Desraj Yadav
Designation: REGISTRAR
Date: 2021.04.12 1?:11:17 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1–	संस्था/संगठन का नाम	नचिकेता गुरूकुल
2–	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	देवेन्द्र कुमार, सचिव
3–	डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाईल नं. एवं मेल आई.डी.	डी-54, सिद्धि विनायक, अशोकमार्ग, सी-स्कीम जयपुर - 302001, 9413625966 Nachiketagurukul@gmail.com
4–	भूमि आवंटन का उद्देश्य	उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं छात्रावास
5–	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) **(मण्डल की योजना का नाम)**	5000 वर्ग मीटर इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर
6–	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	5000 वर्ग मीटर
7–	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेदश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	संलग्न परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (समाज के सभी वर्गों को)
8–	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	नहीं ऐसा कोई आवंटन पूर्व में नहीं हुआ
9–	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i– रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न है
	ii– बाईलॉज/रेग्युलेशन	संलग्न है
	iii– गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	संलग्न है
	iv– संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है
	v– प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले **प्रोजेक्ट बाबत्** मुख्य विवरण)	संलग्न है
	vi– रू. 5900/– (पांच हजार नो सौ रूपये) का बैंक का डी.डी./पे–ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	संलग्न है। डी.डी. - बैंक ऑफ बड़ौदा दिनांक-19/10/22 903795

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तो की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 20/12/2022

स्थान : जयपुर

नाम व पद देवेन्द्र कुमार (सचिव)

सचिव
नचिकेता गुरूकुल
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

D/DRB/Letter

परिशिष्ट–1

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत् निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	नचिकेता गुरुकुल, डी-54, सिद्धि विनायक, अशोक मार्ग सी-स्कीम जयपुर – 302001
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	उपरोक्तानुसार
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	COOP/2017/JAIPUR/100114 दि. – 27/12/2017
संस्था का गत तीन वर्ष का आय–व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न है
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण	निर्धन, वंचित एवं मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास हेतु
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	परियोजना रिपोर्ट जिसमें प्रस्तावित भवन, मानचित्र एवं आगामी अनुमानित लागत व्यय सम्मिलित है संलग्न है।

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	समाज के सभी वर्गों के निर्धन, वंचित एवं मेधावी विद्यार्थियों को उत्तम आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा।
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	संलग्न मानचित्रों के अनुसार औचित्य स्पष्ट है।
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम,, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
स्बंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	नगर निगम क्षेत्र के अन्दर
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण	कार्यकारणी में सभी सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिनकी सूची संलग्न है।
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	नहीं
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार /अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	नहीं
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	संलग्न परियोजना रिपोर्ट के अनुसार
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के सम्बन्ध में विवरण	संस्था आरक्षित दर के 25% मूल्य पर भूमि के आवंटन की अपेक्षा करती है संस्था के कार्य परियोजना रिपोर्ट में वर्णित हैं।
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा की जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

हस्ताक्षर

सचिव
नचिकेता गुरुकुल

D/DRB/Letter